नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारी
अहकाम जो इ
हुक्म की तामी
में जारी हुए

आज यह पत्रावली वादी द्वारा प्रार्थना
पत्र ~~[illegible]~~ पत्रावली व दावा
विड्रा करने बाबत पेश करने पर पेश
हुई 3-ई का जाप प्रार्थना-पत्र
को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना लम्बित
रखा है।

दावा वादी विड्रा किया जा चुका
है दावा वादी विड्रा होने पर प्रार्थना
पत्र RTA का चलने का कोई औचित्य
नहीं रहजाता है। अतः प्रार्थना-पत्र
इसी stage पर खारिज किया जाता है
तथा पूर्व जारी स्टे का स्थगन दि० 27.10.20 को निरस्त किया जाता है
पत्रावली फैसल शुमार होकर बस्ते
में जाय हो सलंग मूल वाद हो।

हरिराम गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)